

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 30/05/2019

क्रमांक/1268/837/2019/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्होंने तत्समय प्रचलित मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1965 के नियम 36(क) के अंतर्गत चयन वर्ष 01 जनवरी की सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में 06 (छः वर्ष) की सेवा पूर्ण की है, को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन के लिये दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में रिक्तिओं के आधार पर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु दिनांक 08.03.2013 को विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। इसी अनुक्रम में परिभ्रमण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2013, रिव्यू समिति की बैठक दिनांक 08.09.2016 एवं परिभ्रमण समिति की बैठक दिनांक 16.02.2017 संपन्न हुई। परिभ्रमण से चयन हेतु शेष रहे अधिकारियों के चयन हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 01.05.2019 को संपन्न हुई।

2 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 12 में कार्यरत निम्न अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:


क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृति किये जाने का दिनांक
1	2	3	4
1	श्री अलिंग जोर एक्का	लेखा अधिकारी, (सहायक संचालक) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल	दिनांक 01.01.2013 से

2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा। दिनांक 01.01.2013 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

  
(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


पृष्ठांकन क्रमांक/1269/837/2019/ई/चार,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 30/05/2019

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अंपर मुख्य सचिव वित्त के स्टॉफ ऑफिसर,
3. प्रमुख सचिव, नगरीय आवास एवं विकास विभाग, मंत्रालय,
4. आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल,
5. आयुक्त, नगरीय आवास एवं विकास विभाग भोपाल,
6. संबंधित अधिकारी,.....

के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शास्ति प्रभावशील हो अथवा अभियोजन/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे अधिकारी को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे और वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जावे।

7. गार्ड फाईल.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

**मध्यप्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**


**// आ दे श //**

भोपाल, दिनांक 30/05/2019

क्रमांक एफ-5(ए)/6/2019/ई/चार, मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2018 अनुसूची-चार (क) के उल्लेख अनुसार राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिये विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 08.02.2019 में विचार किया गया था तथा जिन अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे उन्हें परिभ्रमण में रखे जाने का निर्णय लिया गया था। अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर दिनांक 01.05.2019 को परिभ्रमण चयन समिति द्वारा उपयुक्तता के लिये विचार किया गया।

2 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 12 में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	रिमांक
1	2	3	4
1	श्री संजय बाबू भदौरिया	लेखा अधिकारी एम.पी.आर.आर.डी.ए, सागर-1	दिनांक 06.10.2018 से
2	श्री राजीव श्रीधर जोशी	लेखा अधिकारी, (वित्तीय सलाहकार) अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
3	कु.सन्ध्या चौधरी	लेखा अधिकारी, संचालनालय मछली पालन भोपाल	दिनांक 01.01.2019 से
4	श्री सुरेन्द्र कुमार चौरसिया	जिला कोषालय अधिकारी सतना	दिनांक 01.01.2019 से
5	श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी	सहायक संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा भोपाल	दिनांक 01.01.2019 से
6	श्री राघवेन्द्र पाल सिंह यादव	प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला उज्जैन	दिनांक 01.01.2019 से
7	श्री दिनेश पाठक	लेखा अधिकारी, मानसिक चिकित्सालय ग्वालियर	दिनांक 01.01.2019 से
8	श्री कुलदीप सिंह पंवार	लेखा अधिकारी, राज्य सूचना आयोग भोपाल	दिनांक 01.01.2019 से
9	श्री राजेन्द्र कुमार सारस्वत	लेखा अधिकारी एम.पी.आर.आर.डी.ए, गुना	दिनांक 01.01.2019 से




10	श्री दिलीप सिंह सिसोदिया	सहायक संचालक, कार्या.संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा उज्जैन	दिनांक 01.01.2019 से
11	श्री सुनील श्रीवास्तव	जिला पेंशन अधिकारी, मुरैना	दिनांक 01.01.2019 से
12	श्री भूरालाल पाटिल	लेखा अधिकारी एम.पी.आर.आर.डी.ए.धार-3	दिनांक 01.01.2019 से
13	श्री शिवचरण श्रीवास्तव	लेखा अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर	दिनांक 01.01.2019 से
14	श्री वेद प्रकाश सोनी	लेखा अधिकारी, जिला पंचायत राजगढ़	दिनांक 01.01.2019 से

2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा। दिनांक 06.10.2018/01.01.2019 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,


  
30.5.2019  
(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/6/2019/ई/चार,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 30/05/2019

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
3. अपर मुख्य सचिव वित्त के स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/मत्स्य पालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय,
5. आयुक्त, संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल,
6. आयुक्त संचालनालय, मत्स्य पालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा,
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास अभिकरण/ अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल भोपाल
8. रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग भोपाल,
9. कलेक्टर भोपाल, राजगढ, श्योपुर, मुरैना, उज्जैन, गुना, सतना, सागर, धार, ग्वालियर
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजगढ, श्योपुर,
11. महा प्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण सागर-1, धार-3, गुना,
12. डीन, मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर,
13. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/इंदौर/जबलपुर/भोपाल/उज्जैन/रीवा/सागर/ग्वालियर
14. संभागीय पेंशन अधिकारी, ग्वालियर
15. जिला पेंशन अधिकारी, मुरैना,
16. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, राजगढ, सतना, मुरैना, श्योपुर, सागर उज्जैन, भोपाल, इंदौर
17. संबंधित अधिकारीगण.....  
के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शास्ति प्रभावशील हो अथवा अभियोजन/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे अधिकारी को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे और वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जावे।
18. गार्ड फाईल.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 30/05/2019

क्रमांक एफ-5(ए)/1/2018/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भरती तथा सेवा शर्तें) नियम 1965 के नियम 36(क) के अंतर्गत 01 जनवरी 2018 को कनिष्ठ सेवा वेतनमान में जिन अधिकारियों द्वारा 06 वर्ष की सेवा पूर्ण की गई है, के लिए मध्यप्रदेश वित्त सेवा कनिष्ठ श्रेणी से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु वर्ष 01.01.2018 की रिक्तियों के आधार पर दिनांक 05.03.2018 को संपन्न विभागीय चयन समिति, प्रथम परिभ्रमण समिति की बैठक दिनांक 17.07.2018 के क्रम में परिभ्रमण समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 01.05.2019 को आयोजित की गई।


2 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 12 में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4
1	श्री बृजेन्द्र मोहन पांचाल	लेखा अधिकारी जिला पंचायत भोपाल	दिनांक 01.01.2018 से
2	श्री आनंद पटले	जिला पेंशन अधिकारी सिंगरौली	दिनांक 01.01.2018 से
3	श्री रामबाबू धाकड	जिला पेंशन अधिकारी शाजापुर एवं जिला कोषालय अधिकारी शाजापुर का अतिरिक्त प्रभार	दिनांक 01.01.2018 से
4	श्री राममिलन सिंह	जिला कोषालय अधिकारी शहडोल	दिनांक 01.01.2018 से

2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा। दिनांक 01.01.2018 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

 30.5.2019

(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/1/2019/ई/चार,

भोपाल, दिनांक 30/05/2019


प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय,
3. अपर मुख्य सचिव वित्त के स्टॉफ ऑफिसर,
4. आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल,
5. कलेक्टर, जिला भोपाल, शाजापुर, शहडोल,सिंगरौली,
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल,
7. संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल,
8. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल/जबलपुर/रीवा,
9. संभागीय पेंशन अधिकारी भोपाल, शहडोल,जबलपुर, रीवा,
10. जिला कोषालय अधिकारी, शहडोल,सिंगरौली, शाजापुर,
11. जिला पेंशन अधिकारी, शाजापुर, सिंगरौली,
12. संबंधित अधिकारी,.....

के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शास्ति प्रभावशील हो अथवा अभियोजन/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे अधिकारी को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे और वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जावे।

13. गार्ड फाईल.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

**मध्यप्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 30/05/2019

क्रमांक एफ-5(ए)/6/2019/ई/चार, मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2018 अनुसूची-चार (क) के उल्लेख अनुसार राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिये विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 01.05.2019 में विचार किया गया।

2 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 12 में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4
1	श्री कैलाश प्रसाद नागिया	लेखा अधिकारी, संचालनालय पिछडावर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग भोपाल	दिनांक 01.01.2019 से
2	श्री भोलाराम साकल्ले	सहायक संचालक, संचालनालय लोक शिक्षण भोपाल	दिनांक 01.01.2019 से
3	श्री राजा राम लडिया	जिला कोषालय अधिकारी, उमरिया	दिनांक 01.01.2019 से
4	श्री गोवर्धन लाल गुवाटिया	जिला कोषालय अधिकारी, रतलाम	दिनांक 01.01.2019 से
5	श्री रोशनलाल दोनेरिया	लेखा अधिकारी पुलिस मुख्यालय भोपाल	दिनांक 01.01.2019 से
6	श्री रमेश चन्द्र निरगुडे	लेखा अधिकारी, संचालनालय लोक स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल	दिनांक 01.01.2019 से
7	श्री अखिलेश नेटी	लेखा अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर	दिनांक 01.01.2019 से
8	कु. उषा बक्सला	प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला जबलपुर	दिनांक 01.01.2019 से
9	श्री आशीष नंदनवार	जिला कोषालय अधिकारी राजगढ़	दिनांक 08.02.2019 से
10	श्री नीतेश कुमार उईके	जिला कोषालय अधिकारी वैतुल	दिनांक 08.02.2019 से


*uaf*



2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 01.01.2019/08.02.2019 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार ,

  
30/5/2019  
(मनोज कुमार जैन)


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 30/05/2019

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/6/2019/ई/चार,  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निज सहायक,
4. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/पिछडावर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण, स्कूल शिक्षा, भोपाल,
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
6. आयुक्त, संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/स्कूल शिक्षा पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण भोपाल,
7. पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) पुलिस मुख्यालय भोपाल  
संबंधित कलेक्टर, जबलपुर, रतलाम, उमरिया, राजगढ़, बैतूल
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर,
9. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर/भोपाल/इंदौर/उज्जैन /ग्वालियर ,
10. संबंधित वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/ जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय जबलपुर /नगर कोषालय, रतलाम, उमरिया, बैतूल, राजगढ़, उमरिया
11. संबंधित अधिकारीगण.....  
के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शास्ति प्रभावशील हो अथवा अभियोजन/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे अधिकारी को अधिसमय वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे और वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जावे।
12. गार्ड फाईल.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
30/5/19  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग